न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 6/2019

बउनवानः–

इन्दु पुत्री स्व0 श्री गोरधन जाति मीना निवासी मालबमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां
......वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादनी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 16.01.2019 निर्णय दिनांक : 13.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालबमोरी की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2071–74 की खाता संख्या 103 खसरा नं0 199 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 200 रकबा 3.68 है0 में वादनी इन्दु पुत्री गोरधन जाति मीना निवासी मालबमोरी का नाम सहवन से इन्द्रा बाई पुत्री गोरधन जाति मीना निवासी मालबमोरी दर्ज है, जबकि मुताबिक वादनी वादपत्र एवं छाया प्रति आईडी, आधार कार्ड राशनकार्ड, प्रमाणित छायाप्रति वादनी की अंकतालिका माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेंर में इन्दु पुत्री गोरधन जाति मीना दर्ज हो रहा है। वादनी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मालबमोरी की प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का मालबमोरी एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार वादनी का नाम इन्द्रा बाई के स्थान पर इन्दु दरूस्त किया जाना उचित होगा

अतः चौसाला जमाबंदी खाता संख्या 103 सम्वत 2071–2074 ग्राम मालबमोरी में दर्ज नाम इन्द्रा बाई पुत्री गोरधन हजफ किया जाकर नवीन इन्द्राज इन्दु पुत्री गोरधन जाति मीना निवासी मालबमोरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।